

कार्यालय जिला पंचायतराज अधिकारी, सुलतानपुर।

संख्या 2658/7-पं0/स्व.भा.मि.(ग्रा.)/2025-26

दिनांक: 16 जून, 2025

समस्त सहायक विकास अधिकारी (पं0)
जनपद-सुलतानपुर।

विषय:- प्रदेश की समस्त ग्रामों/ग्राम पंचायतों में निर्मित ड्रेनेज चैनल (नालियों/नालों) के अन्तिम छोर पर ट्रीटमेंट की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या 5/1908/2022-5/35/2022 SBM(G) लखनऊ दिनांक 28 दिसम्बर, 2023, उप निदेशक (पंचायत), अयोध्या मण्डल, अयोध्या के पत्र संख्या 803 दिनांक 03 जनवरी, 2024, अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्र संख्या 263 दिनांक 19.01.2025, 18 अप्रैल, 2024 को स्टेट कन्सलटेन्ट एवं अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में आहूत बैठक की कार्यवृत्त तथा मिशन निदेशक कार्यालय के पत्र संख्या 5/1027 दिनांक 23 जुलाई, 2024, अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्र संख्या 2912 दिनांक 29 जुलाई, 2024 तथा अधोहस्ताक्षरी के पत्र संख्या 1054 दिनांक 01 मार्च, 2025 द्वारा पूर्व में निर्देशित किया गया है कि समस्त ग्रामों/ग्राम पंचायतों में निर्मित सभी ड्रेनेज चैनल (नालियों/नालों) के अन्तिम छोर पर ट्रीटमेंट की व्यवस्था फिल्टर चैम्बर/वेस्ट स्टेबलाइजेशन पाण्ड (डब्ल्यू0एस0पी0) किये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश निर्गत किये गये थे। परन्तु मिशन निदेशक महोदय की अध्यक्षता में आयोजित वीडियो कान्फ्रेंसिंग में जनपदों में ड्रेनेज चैनल (नालियों/नालों) के अन्तिम छोर पर ट्रीटमेंट की व्यवस्था का आनलाइन अनुश्रवण किया गया, जिसमें विकास खण्डों में कुल 121 फिल्टर चैम्बर का ही निर्माण पूर्ण पाया गया। जोकि अत्यन्त दयनीय है। जिसका विवरण निम्न है:-

क्र०सं०	विकास खण्ड का नाम	निर्माण की स्थिति (संख्यात्मक में)	
		पूर्ण	निर्माणाधीन
1	बल्दीराय	13	
2	दोस्तपुर	5	
3	प्रतापपुरकमैचा	14	
4	कूरेभार	5	
5	मोतिगरपुर	7	
6	भदैया	4	
7	धनपतगंज	4	
8	कुडवार	9	
9	लम्मुआ	5	
10	करोदीकला	2	
11	जयसिंहपुर	14	
12	अखण्डनगर	11	
13	दूबेपुर	18	
14	कादीपुर	10	
योग		121	

अतः आपको अन्तिम चेतावनी देते हुए पुनः निर्देशित किया जाता है कि समस्त ग्रामों/ग्राम पंचायतों में निर्मित सभी ड्रेनेज चैनल (नालियों/नालों) के अन्तिम छोर पर ट्रीटमेंट की व्यवस्था कराते हुए अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को एक सप्ताह के भीतर अद्यतन प्रगति का विवरण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि शासन स्तर से टीम/उच्चाधिकारियों द्वारा भ्रमण करने के उपरान्त नालियों/नालों के अन्तिम छोर पर ट्रीटमेंट व्यवस्था न पाये जाने पर आपका उत्तरदायित्व निर्धारण किया जायेगा।

(अभिषेक शुक्ल)
जिला पंचायतराज अधिकारी,
सुलतानपुर।

पृष्ठांकन संख्या /7-पं0/स्व.भा.मि.(ग्रा.)/2025-26 दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- जिलाधिकारी महोदय, सुलतानपुर।
- 2- मुख्य विकास अधिकारी महोदय, सुलतानपुर।
- 3- उप निदेशक (पंचायत) अयोध्या मण्डल, अयोध्या।
- 4- समस्त खण्ड विकास अधिकारी, सुलतानपुर।

जिला पंचायतराज अधिकारी,
सुलतानपुर।